POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.05.2025

1.थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 04.05.2025 को थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 03 अभियुक्त 1.मोनू पुत्र रविन्द्र 2.तनिष्क पुत्र कुवँरपाल 3.मनीष पुत्र अमित गुप्ता को वाजिदपुर से पुस्ता की तरफ जाने वाले तिराहा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैच/चोरी किये हुए 08 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व अभियुक्त मोनू के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोबाइल स्नैचिंग जैसे गंभीर अपराध में लिप्त है। यह लोग नोएडा, दिल्ली व एनसीआर में विभिन्न क्षेत्रों से लोगो के मोबाइल फोन स्नैच करके फरार हो जाते थे। बरामद मोबाइल फोन के संबंध में थाना फेस-2 व थाना एक्सप्रेस पर भी अभियोग पंजीकृत है, अन्य मोबाइल फोन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मोनू पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम इलाहाबास, थाना फेस-2, नोएडा उम्र 19 वर्ष।
2. तनिष्क पुत्र कुवँरपाल निवासी ग्राम इलाहाबास, थाना फेस-2, नोएडा उम्र 22 वर्ष।
3. मनीष पुत्र अमित गुप्ता निवासी ग्राम डिंगरपुर, थाना मोतीगरपुर, जिला सुल्तानपुर वर्तमान पता मन्दिर खेडा देवता ग्राम इलाहाबास, थाना फेस-2, नोएडा उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त मोनू पुत्र रविन्द्र--

1. मु0अ0सं0 57/2025 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एक्सप्रेस-वे, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 56/25 धारा 304 बीएनएस थाना एक्सप्रेस-वे, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 218/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-2, नोएडा।
4. मु0अ0सं0 466/23 धारा 356,379,411,414 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, नोएडा।

B.अभियुक्त तनिष्क पुत्र कुवँरपाल--

1. मु0अ0सं0 57/2025 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एक्सप्रेस-वे, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 56/25 धारा 304 बीएनएस थाना एक्सप्रेस-वे, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 218/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-2, नोएडा।

C.अभियुक्त मनीष पुत्र अमित गुप्ता--

1. मु0अ0सं0 57/2025 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एक्सप्रेस-वे, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 56/25 धारा 304 बीएनएस थाना एक्सप्रेस-वे, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 218/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-2, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. स्नैच/चोरी किये हुए 08 मोबाइल फोन
2. घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल
3. अभियुक्त मोनू के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस

2.थाना फेस 1 पुलिस द्वारा मारपीट कर फायर करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल लाइसेंसी .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, 01 कार आई 10 बरामद

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 04.05.25 को थाना फेस 1 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये अभियुक्त अमन राणा पुत्र स्व0 कुलविन्दर सिंह को न्यू अशोक नगर से आने वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल लाइसेंसी .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, 01 कार आई 10 बरामद। अभियुक्त अमन आदि द्वारा वादी व उसके साथी सोनू के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से फायर करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना फेस 1 पर मु0अ0स0 178/2025 धारा 115(2)/109 बीएनएस दिनांक 03.05.25 को पंजीकृत कराया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 178/2025 धारा 115(2)/ 109 बीएनएस व 3/27 थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अमन राणा पुत्र स्व0 कुलविन्दर सिंह निवासी म0न0 3 सेक्टर 24 थाना सै0 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम खिन्दोड़ा थाना अमीनगर जिला बागपत

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल लाइसेंसी .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस,
2. 01 कार आई 10 यूपी 16 सीजेड 7775

3.थाना बिसरख पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी मांगने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से रंगदारी में लिये गये 25,000 रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 04.05.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये जान से मरवाने व झूठे मुकदमे में फसाकर रंगदारी मांगने वाली अभियुक्ता प्रीति गुप्ता पत्नी राजीव बाबू को पैरामाउन्ट इमोशन सोसाइटी के पास से **गिरफ्तार** किया गया है, कब्जे से रंगदारी में वसूले गये 25 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल (जिनमें वादी से व्हाटसएप पर पैसे की मांग करने तथा अपराध से सम्बन्धित साक्ष्य) भी बरामद हुए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 01.04.2024 को वादी द्वारा अपने फ्लैट को प्रीति गुप्ता पत्नी श्री राजीव बाबू को किराये पर दिया था जिसका एग्रीमेन्ट 24.12.2024 को समाप्त हो जाने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं किया गया और अभियुक्ता द्वारा अपने साथी अजीत कुमार वियोगी उर्फ राज पुत्र रामेश्वर राय निवासी सकरपुर ईस्ट दिल्ली (कथित पत्रकार) के साथ मिलकर व षडयन्त्र रचकर फ्लैट खाली करने के लिये 25 लाख रुपये की मांग करना व पैसे नही देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी तथा वादी के बेटे को बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 25 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें से 85 हजार रुपये रंगदारी अभियुक्ता के साथी अजीत कुमार वियोगी उर्फ राज के साथ मिलकर ले ली गई थी, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण--

1. प्रीति गुप्ता पत्नि राजीव बाबू निवासी टावर टी-102 पेरामाउंट इकोंसेंस थाना बिसरख

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 133/2025 धारा 352,356(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0-134/2025 धारा 324(4),352 बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 137/2025 धारा 324(4),352 बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 150/2025 धारा 115(2) बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 205/2025 धारा 356(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 312/2025 धारा 308(6),308(7),351(2),61(2) बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 25000 रूपये तथा घटना प्रयुक्त दो मोबाइल